भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1685
29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- आधार वर्ष 2024

1685. श्री मितेश पटेल बकाभाईः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः
श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आधार वर्ष 2024=100 वाली नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला को अपनाने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और मूल्य संग्रह केंद्रों की संख्या कितनी है और संशोधित वस्तु बास्केट में कितनी वस्तुएं शामिल की गई हैं;

(ख) नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला के लागू होने के बाद इसके अंतर्गत दर्ज की गई मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़ें क्या हैं और आधार वर्ष 2012=100 वाली पिछली श्रृंखला के अंतर्गत तदनुरूपी आंकड़ों की तुलना में ये किस स्तर पर है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-आधारित सूचीकरण का उपयोग करने वाले निकायों सहित अन्य हितधारकों को संशोधित पद्धतियों और पिछली श्रृंखला के आंकड़ों से अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार वर्ष को 2012 = 100 से संशोधित कर 2024 = 100 कर दिया गया है। संशोधित श्रृंखला दिनांक 12 फरवरी, 2026 को जारी की गई। नई सीपीआई श्रृंखला के तहत मासिक मूल्य संग्रह 1465 ग्रामीण बाजारों और 434 शहरों के 1395 शहरी बाजारों तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मदों के मूल्य भिन्नताओं को एकत्रित करने के लिए 25 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 12 शहरों में 12 ऑनलाइन बाजार जोड़े गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर संशोधित बास्केट में अधिमान मदों की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है, जिसमें वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़कर 308 और सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 हो गई । नई श्रृंखला की मद बास्केट और अधिमान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) वर्ष 2023-24 के परिणामों पर आधारित हैं।

(ख) सीपीआई, 2024 श्रृंखला के तहत, मुद्रास्फीति के आंकड़े जनवरी, 2026 से उपलब्ध हैं।सीपीआई 2012 श्रृंखला के मुद्रास्फीति के आंकड़े दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध हैं। नई श्रृंखला के तहत मुद्रास्फीति की पिछली श्रृंखला के साथ सीधी तुलना संभव नहीं है क्योंकि दोनों श्रृंखलाओं के बीच मद बास्केट, अधिमान, बाजारों के समावेशन और कार्यप्रणाली में बदलाव हुए हैं।

तथापि, जनवरी, 2026 से नई श्रृंखला के तहत माह-वार मुद्रास्फीति इस प्रकार हैः

अवधि	**सीपीआई 2024 श्रृंखला के तहत मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष)**		
माह	**ग्रामीण**	**शहरी**	**संयुक्त**
जनवरी-26	2.73	2.75	2.74
फरवरी-26	3.37	3.02	3.21
मार्च-26	3.63	3.11	3.40
अप्रैल-26	3.74	3.16	3.48
मई-26	4.25	3.53	3.93
जून -26 *	4.74	3.92	4.38

*** अनंतिम**

(ग) राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य उपयोगकर्ताओं को पुरानी श्रृंखला की तुलना में संशोधित श्रृंखला में परिवर्तनों के बारे में सूचित करने के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्यापक संसोधन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, नई श्रृंखला में अपनाई गई संशोधित कार्यप्रणाली और प्रथाओं का विवरण सहित, नई सीपीआई श्रृंखला की बेहतर समझ और एकीकरण के लिए नई श्रृंखला के प्रथम सूचकांक के विमोचन से पूर्व दिनांक 29 जनवरी, 2026 को जारी की गई। इसके बाद, एमओएसपीआई द्वारा संशोधित श्रृंखला पर उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, विचार-मंथन सत्र, पैनल चर्चा, मीडिया लेख आदि का आयोजन किया गया।

सीपीआई (आधारः 2012 = 100) और सीपीआई (आधारः 2024 = 100) श्रृंखला के बीच समय श्रृंखला और निरंतरता स्थापित करने के लिए, जोड़ने वाले कारकों और इसकी गणना की विधि को भी जारी किया गया। जनवरी 2013 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय सामान्य सूचकांकों और ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति की पिछली श्रृंखला के आंकड़े भी एमओएसपीआई (www.esankhyiki.mospi.gov.in) के ई-सांख्यिकी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
